ISSN: 0973-0583

दहेज-हिंसा का दूरगामी प्रभाव: एक अध्ययन

सविता कुमारी

गृह विज्ञान, मुरलीगंज, मधेपुरा

एंजेल्स के अनुसार, परिवार में संपत्ति का संबंध निजी संपत्ति अर्जित करने की धारणा के विकास के साथ शुरू हुआ तथा विरासत का सवाल अहम हो गया। एंजेल्स ने इस मान्यता का उपयोग मध्यम वर्गीय परिवारों तथा श्रमिक वर्ग परिवारों में अन्तर करने के लिए किया। उनका कहना था कि श्रमिक वर्ग परिवारों के पास अपनी निजी जायदाद नहीं होती इसलिए उनमें विरासत का प्रश्न महत्त्वपूर्ण नहीं था और न ही संपत्ति महिलाओं के उत्पीड़न का कारण बनती थी। ऐसा करते हुए उन्होंने न केवल लैंगिक आधार पर महिलाओं का श्रम विभाजन करने की नीति को महिलाओं के उत्पीड़न का जरिया मानने की भूल की अपितु गर्भ नियंत्रण की आवश्यकता, पितृसत्ता, पूँजीवाद के अंतर्गत स्त्री श्रम शक्ति को संपत्ति मानना, इत्यादि मुद्दे उठाकर निजी संपत्ति तथा विरासत को आपस में गडमड कर दिया। जहाँ महिलाओं का उत्पीड़न विरासत के प्रश्न में अंतर्निहित है, वहीं उनके उत्पीड़न के लिए निजी सम्पत्ति का होना पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है। भारत में जारी दहेज प्रथा से निजी संपत्ति का संबंध साफ तौर से दिखाई देता है। इसके तहत प्रत्येक दूल्हे की एक निश्चित कीमत ली जाती है जिसका उपयोग वर पक्ष के लोग तात्कालिक तौर पर घरेलू सामान खरीदने, कारोबार को आगे बढ़ाने, छोटे लड़कों को पढ़ाने, तरक्की के लिए रिश्वत देने या परिवार की किसी लड़की के विवाह का दहेज जुटाने में करते हैं। अनेक मामलों में यह परिवार के अंदर तत्काल तो नहीं होता परंतु बाद में यह किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति बन जाता है।

मौजूदा हालात में दूल्हा तरल धन के हस्तांतरण की पाइपलाइन बन गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि बिकनेवाले दूल्हे को खरीदनेवाले लड़की के पिता का दूल्हे के ऊपर कोई निजी अधिकार नहीं होता, इसके विपरीत दहेज के रूप में किया जानेवाला लेनदेन खून की कीमत चुकाने के लिए होता है। ऐसी दहेज हत्याएँ उन उद्यमशील मध्यमवर्गीय परिवारों द्वारा की जाती हैं जो बहू को मारकर अपने बेटों का दुबारा विवाह करके दहेज में अधिक धन प्राप्त करने की लालसा रखते हैं।

समकालीन नारीवादी आंदोलन में महिला दक्षता समिति पहली महिला संस्था थी जिसने दहेज एवं दहेज उत्पीड़न के मुद्दे को उठाया परंतु स्त्री संघर्ष द्वारा चलाए गए अभियान के परिणामस्वरूप दहेज हत्या की चर्चा घर-घर में फैल गई। महिला दक्षता समिति ने दिल्ली में दहेज विरोधी प्रदर्शन आयोजित किया तथा इस मुद्दे पर एक पुस्तिका भी प्रकाशित की। इंद्रप्रस्थ कॉलेज महिला समिति तथा प्रगतिशील छात्र संगठन ने मिलकर स्त्री संघर्ष के बैनर तले 'मार्च' आयोजित किया। प्रदर्शन की खबरें लगभग सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपीं जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में दहेज-विरोधी प्रदर्शनों की बाढ़-सी आ गई। इस प्रदर्शन की खबरें सुर्खियों में छपी। हालाँकि अनेक बार संगठन द्वारा आयोजित प्रदर्शनों में महिलाओं की संख्या दो सौ तक पहुँच गई, फिर भी उनका विरोध प्रदर्शन पूर्णरूपेण आंदोलन की शक्ल नहीं ले पाया।

वर्षों की खामोशी के बाद दहेज के विरूद्ध नया आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ। यह आंदोलन इस बार महिलाओं के दहेज-उत्पीड़न पर केंद्रित था, खासतौर से हत्या और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के विरूद्ध था। यद्यपि दहेज-उत्पीड़न और हत्या के विरूद्ध पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्यप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित भारत के अनेक भागों में विरोध अभियान चल रहे थे, परंतु दहेज एवं दहेज संबंधी अपराधों के विरूद्ध विस्तृत आंदोलन दिल्ली में ही चल रहा था। इसका कारण यह है कि दिल्ली में दहेज के कारण होनेवाली हत्याओं की संख्या अधिक थी।

अब तक आग लगने से होनेवाली स्त्रियों की मौतों को आत्महत्या के रूप में ही लिया जाता था, यहाँ तक कि

इन दहेज-उत्पीड़नों का आत्महत्याओं का कारण बहुत कम माना जाता था। पुलिस समेत किसी ने भी कभी उन मामलों को सूचीबद्ध करने या जाँच करने की जहमत नहीं उठाई। आमतौर पर ऐसे मामलों को पारिवारिक और 'निजी' कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता था और इसे राज्य की चिंता का विषय नहीं माना जाता था। बहरहाल दशकों से चली आ रही इस उदासीनता का नारीवादियों ने विरोध किया तथा आग से होनेवाली मौतों को यह कहते हुए कि अनेक औपचारिक 'आत्म-हत्याएँ', आत्महत्याएँ नहीं बल्कि हत्याएँ हैं, दहेज-उत्पीड़न से जोड़ दिया। कुछ मामलों में दहेज हत्या की शिकार महिलाएँ बयान देने के लिए काफी देर तक जीवित रहीं और उन्होंने अपने मृत्यु पूर्व बयान में सास-ससुर द्वारा दहेज के लिए तंग किए जाने का उल्लेख भी किया परंतु पुलिस ने इतनी सुस्त और देर से कार्रवाई की कि हत्यारे साक्ष्य मिटाने में सफल हो गए और हत्या के मामले को आत्महत्या कहकर खत्म कर दिया तथा सारा मामला भुला दिया गया।

बहरहाल, नारीवादियों ने जब इस स्थिति के विरूद्ध यह कहते हुए आवाज बुलंद की कि मृत्यु पूर्व महिला द्वारा दिए गए बयान को साक्ष्य माना जाए और पुलिस के तौर-तरीकों को चुस्त किया जाए तथा समाज हत्यारों का बहिष्कार करे, उनका सामना करे तो कुछ लोगों पर उसका असर हुआ, कुछ लोगों ने सहमति जताते हुए धरने में भी भाग लिया। स्त्री संघर्ष द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन इतना तीव्र था कि इस जुलूस और प्रदर्शन में न केवल महिला के सुसरालवालों के पड़ोसी अपने बच्चों के साथ शामिल हुए, बल्कि सफाई कर्मचारियों, घरेलू नौकरों तथा आसपास से गुजरने वाले लोगों ने भी उनमें हिस्सा लिया। एक मामले में कंचन अपने मायके गई। उसने अपने माता-पिता को बताया कि उसे बहुत डर लग रहा है। उसके सास-ससुर उससे और अधिक धन लाने की माँग कर रहे हैं। कंचन ने कहा कि मेरी सास पैसा न मिलने पर मुझे मार डालने की धमकी देती है। दोपहर को कंचन का भाई थाने गया। उसने कंचन की सास-ससुर और घर के अन्य सदस्यों के नाम दहेज के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। पुलिस ने यह कहकर कि 'यह उनका घरेलू झगड़ा है', शिकायत दर्ज नहीं की। कंचन उसी रात मर गई। अगले दिन लोगों ने कंचन के शोक-संतप्त परिवार के साथ मिलकर थाने को घेर लिया और पुलिस से कंचन के ससुरालवालों के विरूद्ध कंचन की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की माँग की। इस घटना की खबरें छपने के बाद नारीवादी अत्यंत उत्साहित हुए। उन्होंने महसूस किया कि कंचन की मृत्यु ने लोगों को इस सीमा तक उद्वेलित कर दिया है कि अब कार्रवाई जरूरी होगी। इस घटना से स्त्रीवादियों को आंदोलन चलाने का मौका मिल गया। एक दूसरे मामले में नारंग नामक एक नौजवान का विवाह प्रेमलता से होनेवाला था। नारंग के माता-पिता ने उसकी शादी से एक दिन पूर्व प्रेमलता के माता-पिता के सामने दहेज की भारी-भरकम माँग रख दी। नारंग के माँ-बाप की बढ़ती दहेज-लोलुपता से क्षुब्ध होकर प्रेमलता के माँ-बाप ने शादी से दो दिन पूर्व रिश्ता ही तोड़ दिया। उन्होंने नारी रक्षा समिति से संपर्क करके नारंग के घर के बाहर प्रदर्शन करने का अनुरोध किया ताकि उनकी सार्वजनिक भर्त्सना की जा सके। यह एक उल्लेखनीय घटना थी क्योंकि इस प्रकार के प्रचार का प्रभाव पुरुष की अपेक्षा स्त्री पर अधिक होता है। पुरुष के पाप को उसके परिवारवालों पर डालकर जल्दी ही भुला दिया जाता है। इसके बावजूद प्रेमलता का परिवार नारंग को अपमानित करने के उद्देश्य से प्रचार का सामना करने को तैयार था। प्रेमलता के परिवारवालों की दहेज-लोभियों की निंदा करने की इच्छाशक्ति को देखकर नारीवादियों को बड़ी प्रसन्नता हुई।

दहेज विरोधी आंदोलन के कुछ वर्ष बाद अनेक राज्य सरकारों ने दहेज हत्या के विरुद्ध कानून बनाना शुरू कर दिया। वास्तविकता है कि सन् 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने दहेज के लिए महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए संसद के अगले सत्र में विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कहा था। उन्होंने यह आश्वासन महिला दक्षता समिति को दिया था। दहेज-विरोधी प्रकोष्ठ बनाने में काफी समय लगा। वर्तमान में ये प्रकोष्ठ दहेज हत्या के मामलों को छोड़कर केवल दहेज की माँग और दहेज उत्पीड़न के मामले देखते हैं। व्यावहारिक रूप में ये प्रकोष्ठ विवाह सलाहकार ब्यूरो की तरह काम कर रहे हैं। यह मानी हुई बात है कि भारत में अधिसंख्य स्त्रियों (चाहे वे अकेली हों, तलाकशुदा, भागी हुई या विधवा हों) जब 'पुरुष सुरक्षा' से वंचित हो जाती हैं तो उनकी

यही दशा होती है। आश्चर्यजनक रूप से ऐसी स्त्रियाँ समाज के बजाय अपने परिजनों के हाथों उत्पीड़ित होना ज्यादा पसंद करती हैं। यदि हम दहेज पीड़ित महिला को घर छोड़ने को उत्साहित करें तो समस्या यह पैदा होती है कि आखिर वह रहेगी कहाँ? क्योंकि यदि वह वापस अपने माँ-बाप के पास जाती है तो अपरिहार्य रूप से अपनी छोटी बहन के विवाह के लिए 'खतरा' बन जाती है। इसका कारण संभवत: यह है कि योग्य लड़कों के माँ-बाप के मन में यह संदेह पैदा होता है कि वधू पक्ष उन्हें उचित दहेज नहीं दे पाएगा। कोई भी मकान मालिक अकेली स्त्री को मकान किराए पर देने का इच्छुक नहीं होता। मकान मालिक के मन में यह डर होता है कि कहीं यह वेश्या तो नहीं, (या कि अकेली औरत उसके घर में वेश्यावृत्ति न शुरू कर दे)। चूँकि दहेज-उत्पीड़न की ज्यादातर घटनाएँ संयुक्त परिवारों में होती हैं, इसलिए नवदम्पतियों को घर छोड़ कर आत्मनिर्भर होने की सलाह देना उचित होगा।

यह कहना पर्याप्त होगा कि दहेज हत्या की अपेक्षा दहेज उत्पीड़न को प्रमाणित कर पाना अधिक सरल है। आग लगने से हुई मौत में यह साबित कर पाना कि वह हत्या है या आत्महत्या या दुर्घटना, बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ऐसे मामलों में सबूत लगभग न के बराबर होता है। ''उसकी साड़ी के पल्लू में आग लग गई'' या कि ''दुर्घटना का कारण स्टोव है''- ऐसे मामलों में दो मुख्य साक्ष्य हो सकते है: (अ) आग लगने के पश्चात अस्पताल ले जाते समय पीड़ित महिला की जीवित अवस्था में दिया गया मृत्युपूर्व बयान तथा (ब) परिस्थितिजन्य साक्ष्य जैसे पत्र, पड़ोसियों की गवाही इत्यादि। मृत्युपूर्व दिए गए बयानों की पुलिस आमतौर पर अनदेखी कर देती है। अगर कभी पुलिस पति एवं सास-ससुर के खिलाफ दहेज हत्या के अलग-अलग मुकदमें दर्ज भी करती है तो अक्सर वे अदालतों द्वारा सबूत की कमी के कारण खारिज कर दिए जाते हैं। यह भी कि हादसे की शिकार महिला के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को अदालतें अभियुक्त को हत्या का दोषी मानने का पर्याप्त सबूत नहीं मानती। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात तो यह है कि ऐसे बयानों को पुलिस भी जाँच-पड़ताल का पर्याप्त आधार नहीं मानती। हत्यारों से रिश्वत लेकर पुलिस उदासीन हो जाती है और जाँच में ढिलाई बरतते हुए हत्यारों को साक्ष्य नष्ट करने का पूरा मौका दे देती है। अनेक मामलों में पीड़ित स्त्री के परिजनों को थाने पहुँचने और पुलिस को रिश्वत दे पाने में इतना विलंब हो चुका होता है कि हत्या/ आत्महत्या की कहानी पहले से ही पुलिस तैयार कर चुकी होती है। कोई भी यह प्रश्न कर सकता है कि यदि पुलिस आग लगाकर किसी महिला को मरना स्वयं अपनी आँखों से देख ले तो क्या वह उसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य मानेगी? परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्र करने के लिए कौन-कौन से तरीके इस्तेमाल करती है पुलिस? विस्तृत परिस्थितिजन्य साक्ष्य तैयार करने के लिए पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई करती है तथा उसके पास इसके लिए क्या जरिए हैं। पुलिस के पास मामले को मजबूत बनाने के लिए अधिक जाँचकर्ता, अधिक डॉक्टर, अधिक मशीनरी क्यों नहीं हैं? पुलिस इनकी माँग क्यों नहीं करती?

केंद्रीय सरकार ने एक आदेश के तहत विवाह के पाँच वर्षों के भीतर असामान्य परिस्थितियों में होनेवाली विवाहित स्त्रियों की मृत्यु की जाँच तथा शव-परीक्षण अनिवार्य कर दिया। आत्महत्या के लिए मजबूर करने के संदिग्ध मामलों को (परोक्ष रूप से ही सही) भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दर्ज करने का आदेश भी दिया गया।

सन् 1985 में उच्चतम न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में दिए गए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को उलट दिया। उच्चतम न्यायालय ने सुधा गोयल की सास तथा पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा साक्ष्य के अभाव में उसके देवर को बरी कर दिया। हरदीप कौर (हरदीप कौर तरविंदर कौर की सहेली थी जिसकी हत्या विवाह के कुछ ही दिनों बाद कर दी गई थी) के मामले में उसकी सास को उच्च न्यायालय ने दोषी माना। राजस्थान में उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने दो लोगों को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए फाँसी की बेमिसाल सजा सुनाई। दिल्ली में दहेज उत्पीड़न के एक मामले में मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त की जमानत नामंजूर कर दी तथा पीड़ित महिला को निर्देश दिया कि अपने साथ दहेज में लाई हुई सारी चीजें वह वापस ले ले।

निष्कर्ष:

उल्लेखनीय है कि दहेज एवं दहेज हिंसा के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन में पितृसत्ता विरोधी,पूँजीवादी विरोधी स्त्रियों से लेकर रूढ़िवादी पितृसत्ता की पक्षधर सहित अनेक विभिन्न दृष्टिकोणों वाली महिलाओं ने भाग लिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जितने बड़े पैमाने पर पुरुषों में यह भावना विकसित हुई कि 'हमारी पत्नियाँ की सुरक्षा एवं देखभाल का दायित्व हमारा है', दहेज तथा दहेज हिंसा के विरुद्ध चलाए जानेवाले आंदोलन में यह भावना उस रूप में उतनी मजबूती से दिखाई नहीं पड़ी। आंदोलन में सक्रिय अनेक स्त्रियों ने, दहेज हत्या तथा आत्महत्या को पूँजीवाद से उपजी समस्या से जोड़कर देखा। दूसरी ओर उनमें से अधिसंख्य ने इसे नारीवादी विषय मानने के बजाय पितृसत्ता विरोधी मुद्दे के रूप में देखा। युवा स्त्रियों और कभी-कभी युवा पुरुषों को हेय दृष्टि से देखने के बढ़ते हुए विरोध के मद्देनजर कुछ स्त्रियों ने अनुबंधात्मक विवाह पद्धति पर बल देना शुरू किया था तथा कुछ ने सार्वजनिक तौर पर यह कहना शुरू कर दिया कि इसी वजह से तो मुझे शादी करना पसंद नहीं। इसके पीछे वे भारत में स्त्रियों की दशा देखकर अपने सपनों को साकार न हो पाने का कारण देखती हैं, वे राजनीतिज्ञों तथा समाज सुधारकों द्वारा बोली जानेवाली परस्पर विरोधी बोलियों से भी चिंतित हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. फ्लाविया, 'माई स्टोरी अवर स्टोरी ऑफ रिबिल्डिंग ब्रोकन लाइब्ज' वीमेंस सेंटर, बंबई, नवंबर' 84 पृष्ठ 11, 12, 18 ।
2. रोहिणी, सुजाता एस.वी. तथा नीलम सी., 'माई लाइफ इज वन लांग स्ट्रगल', प्रतिशब्द, मद्रास, पृष्ठ 721 ।
3. सुभद्रा बुटालिया, 'द एजीटेशन अगेन्स्ट डावरी' *'हाव'* मार्च, 1983, दिल्ली।
4. टाइम्स ऑफ इंडिया में दीप्ति का आलेख- 'वीमेन लेक्चर्स मोबिलाइज अगेन्स्ट डावरी डेथ्स'।
5. विभूति पटेल, रीचींग फॉर हाफ द स्काई, अंर्तराष्ट्रीय प्रकाशन, हावड़ा, 1985।
6. मानुषी, अंक-27, मार्च-अप्रैल, 1985, पृ०-12 ।